70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 303–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–11–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 422/अपील/2013–14.

राजाराम पिता दुधा जी आंजना
निवासी ग्राम राजोटा
तहसील नागदा जिला उज्जैन ....आवेदक

विरूद्ध

1– रामचन्द्र पिता बगदीराम
2– बालुसिंह पिता दुधाजी आंजना
3– करणसिंह पिता दुधाजी आंजना
4– तोलाराम पिता दुधाजी आंजना
5– श्यामलाल पिता रामचन्द्र
निवासीगण ग्राम राजोटा
तहसील नागदा जिला उज्जैन ....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.सी. मूणत, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार, नागदा जिला उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम राजोटा स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे क्रमांक 161 रकबा 0.69 हेक्टैयर पर आने–जाने के रास्ते को आवेदक संहित अनावेदक क्रमांक 2

लगायत 5 द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । अपर तहसीलदार टप्पा उन्हेल जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 03 / अ–13 / 2011–12 दर्ज कर दिनांक 8–10–12 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, नागदा जिला उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–10–13 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष दिनांक 11–8–14 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 8–9–14 को विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत किया गया, साथ ही आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर सुनवाई किये जाने हेतु संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–11–2016 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सही रूप से विचार किये बगैर उसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त के समक्ष 9 माह से भी अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी और अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में प्रत्येक दिन के विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया गया था । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन पत्र के समर्थन में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर आवेदक को सुनकर निराकरण नहीं करतें हुए आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–9–2014 को अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने का कोई कारण आदेश में नहीं दर्शाया गया है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा समयावधि के बिन्दु पर बिना सुने यह मानने में वैधानिक त्रुटि की है कि अवधि विधान की

धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पूर्व में ही प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु उनके द्वारा द्वारा गलत आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई थी । इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे, जिस पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनकर, उसका निराकरण करना चाहिए, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक को बिना सुने अवधि के प्रश्न का निराकरण करने में वैधानिक त्रुटि की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अवधि के प्रश्न पर सुनकर, उसका निराकरण करने का निवेदन किया गया था, अतः अधीनस्थ न्यायालय को उभय पक्ष को सुनकर अवधि के प्रश्न का निराकरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वैधानिक एवं उचित नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा अनेक न्याय दृष्टान्त प्रतिपादित किये गये हैं, कि अवधि के प्रश्न पर आदेश पारित करते समय बोलता हुआ सकारण आदेश पारित करना चाहिए । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में यह आधार दर्शाया गया था कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उनकी ओर से श्री शबाबउद्दीन, अभिभाषक पैरवी कर रहे थे । उनके अभिभाषक पिछले 10 माह से बीमार होकर कैंसर से पीड़ित होने से उनका मुम्बई में ऑपरेशन होने के कारण उनके मुम्बई से आने के बाद, अनावेदक कमांक 1 अभिभाषक से मिलने पर उन्होंने आश्वासन दिया कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, प्रकरण देख लूंगा, अतः वह अपने अभिभाषक पर आश्रित होकर उनके भरोसे पर अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । उनके अभिभाषक की दिनांक 20–5–2014 को देहान्त होने की जानकारी अनावेदक कमांक 1 दिनांक 26–7–2014 को मिलने पर वह अनुविभागीय

अधिकारी के न्यायालय में जाकर प्रकरण की जानकारी ली गई, तब अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20–10–13 की जानकारी 28–7–2014 को होने पर उसी दिनांक को आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया एवं दिनांक 8–8–2014 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर दिनांक 9–8–2014 एवं 10–8–2014 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 11–8–2014 को अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । अनावेदक कमांक 1 अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है अंगूठा लगाता है, अतः अज्ञानतावश एवं अभिभाषक के भरोसे रहने से जो विलम्ब हुआ है, वह क्षमा किया जाना आवश्यक है ।

(2) आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, उसमें दो प्रकरण के नकल आवेदन व नकल रसीद में अनावेदक कमांक 1 का अंगूठा निशानी नहीं है, न ही नकल हेतु अनावेदक कमांक 1 ने आवेदन दिया है, किसी अन्य व्यक्ति या अभिभाषक से आवेदक राजाराम द्वारा नकल आवेदन पेश करवाया है तथा नकल आवेदन में भी अनावेदक कमांक 1 के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी नहीं है और न ही आवेदन पत्र में नकल लेने का कारण दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज तथ्यहीन व निराधार होने से स्वीकार योग्य नहीं है । इस प्रकार अनावेदक कमांक 1 द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के संबंध में जो कारण दर्शाये गये हैं, वह, क्षमा किये जाने योग्य है ।

तर्कों के समर्थन में 2010 आर.एन. 215, 2003 आर.एन. 198, 2000 आर.एन. 221, 2005 आर.एन. 348, 1990 आर.एन. 92 एवं 2002 आर.एन. 353 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–8–13 को उभय पक्ष के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेश हेतु दिनांक 10–9–13 नियत किया गया है, किन्तु नियत दिनांक को आदेश पारित नहीं कर, दिनांक 21–10–13 को अनावेदक पक्ष की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को आदेश की संसूचना पक्षकारों को दिया जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में 2005 आर.एन. 348 कुसुम जैन (श्रीमती) विरूद्ध म.प्र. राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धान्त

प्रतिपादित किया गया है नियमों के अधीन विहित रूप में संसूचित नहीं किया गया, परिसीमा का आरम्भ बिन्दु वह दिनांक होगा, जिस पर अपीलार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की है, न कि आदेश का दिनांक । इसी प्रकार 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा एक अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, म.प्र. तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:–

> ''**परिसीमा**–आरंभ होने का बिंदु–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य'' आदेश की तारीख''–अर्थ–''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

> ''**शब्द तथा वाक्य**–वाक्य ''आदेश की तारीख''–अर्थ–प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया–वाक्य–''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

वैसे भी समयावधि के प्रश्न पर उदारतापूर्वक विचार कर विलम्ब माफ करना चाहिए । इस सम्बन्ध में 2003 आर.एन. 198 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक लि. तथा अन्य विरूद्ध हिम्मत प्रसाद में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> धारा 5–विलम्ब की माफी के लिए आवेदन–उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए–विलम्ब का पर्याप्त कारण दर्शाया–विलंब माफ किया गया ।''

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर